

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 सितम्बर 2021—भाद्र 17, शक 1943

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2021

क्र. एफ-2(क)-01-2020-बी-3-दो.—माननीय उच्चतम न्यायालय की आपराधिक अपील क्रमांक 135/2010 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-2(क) 01-2020-बी-3-दो, दिनांक 18 जून 2021 की निरंतरता में, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट महिला पुलिस थानों को, कॉलम (3) में वर्णित जिलों और कॉलम (4) में वर्णित स्थानीय क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट सीमा तक मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्द्वारा “मानव तस्करी रोधी इकाई” भी घोषित करती है:—

सारणी

स. क्र.	थाने का नाम	जिले का नाम	थाने का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भोपाल महिला पुलिस थाना	भोपाल	भोपाल जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
2	इंदौर महिला पुलिस थाना	इंदौर	इंदौर जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
3	जबलपुर महिला पुलिस थाना	जबलपुर	जबलपुर जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
4	ग्वालियर महिला पुलिस थाना	ग्वालियर	ग्वालियर जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
5	उज्जैन महिला पुलिस थाना	उज्जैन	उज्जैन जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
6	रतलाम महिला पुलिस थाना	रतलाम	रतलाम जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
7	सागर महिला पुलिस थाना	सागर	सागर जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
8	रीवा महिला पुलिस थाना	रीवा	रीवा जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
9	सतना महिला पुलिस थाना	सतना	सतना जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र
10	कटनी महिला पुलिस थाना	कटनी	कटनी जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2021

क्र. एफ-2(क)-01-2020-बी-3-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2(क)-1-2020-बी-3-दो, दिनांक 8 सितम्बर 2021 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास वर्मा, सचिव.

Bhopal, the 8th September 2021

F-2(A) 01-2020-B-3-Two.—In compliance of the direction given by Hon'ble the Supreme Court in Criminal Appeal No. 135/2010 the State Government in continuation with Department's Notification No. F-2(A) 01-2020 B-III-II, date 18th June 2021, hereby, declares the following Women Police Stations shown in column (II) of the Table given below, for the districts shown in column (III) and for the area shown in column (IV), as "Anti Human Trafficking Units" also for their respective districts:—

TABLE

S. No.	Name of Women Police Station	Name of District	Area of Police Station
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bhopal Women Police Station	Bhopal	Whole area of Distt. Bhopal
2	Indore Women Police Station	Indore	Whole area of Distt. Indore
3	Jabalpur Women Police Station	Jabalpur	Whole area of Distt. Jabalpur
4	Gwalior Women Police Station	Gwalior	Whole area of Distt. Gwalior
5	Ujjain Women Police Station	Ujjain	Whole area of Distt. Ujjain
6	Ratlam Women Police Station	Ratlam	Whole area of Distt. Ratlam
7	Sagar Women Police Station	Sagar	Whole area of Distt. Sagar
8	Rewa Women Police Station	Rewa	Whole area of Distt. Rewa
9	Satna Women Police Station	Satna	Whole area of Distt. Satna
10	Katni Women Police Station	Katni	Whole area of Distt. Katni

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SREENIVASA VARMA, Secy.